

रीजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

(Department of Agriculture and Cooperation)

सं. 489] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1993/श्रावण 26, 1915
No. 489] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1993/SRAVANA 26, 1915

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1993

का.आ. 618(अ) :—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिये विक्रय किये जाने वाले नीचे सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानों प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रकार के उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट संकर किस्म के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, बीजों की उक्त किस्म को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये सम्पूर्ण भारत के लिये अधिसूचित किस्म घोषित करती है।

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110024, 1993
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110024, 1993

सारणी

किस्म	प्रकार
(1)	(2)
*पी के वी एच वाई-2 (ए एच एच-468)	कपास

*मादा मूल के रूपमें एमएसए के-32ए की कौशिकाद्रव्यी नर रोगाणु रहित दीर्घतंतु का प्रयोग करके।

[सं. 18-276/92-एसडी-IV]

शांता शीला नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1993

S.O. 618(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the hybrid variety specified in column (1) of the Table below of the kind specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said variety of seeds to be the notified variety for a period of two years from the date of publication of this notification, for the whole of India for the purposes of the said Act.

TABLE

Variety	Kind
1	2
*PKVHY-2(AHH-468)	Cotton

*Using cyto-plasmic male sterile line of MSAK-32A as a female parent.

[F.No.18-276/92-SD.IV]

SANTHA SHEELA NAIR, Jt. Secy.